

**भारत सरकार**  
**श्रम और रोजगार मंत्रालय**  
**लोक सभा**  
**अतारांकित प्रश्न संख्या- 1264**  
**सोमवार, 8 दिसंबर, 2025/17 अग्रहायण, 1947 (शक)**

**अजा/अजजा के लिए कोचिंग सेंटर**

**1264. श्री गोविन्द मकथप्पा कारजोल:**

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार कर्नाटक में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए कोचिंग/व्यावसायिक मार्गदर्शन केंद्र संचालित कर रही है;
- (ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और वर्तमान में कर्नाटक में, विशेषकर चित्रदुर्ग में, ऐसे केंद्रों की संख्या और स्थानों की जिला-वार संख्या का ब्यौरा क्या है;
- (ग) पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान कर्नाटक में उक्त केंद्रों पर प्राप्त आवेदनों और वर्तमान में नामांकित छात्रों की संख्या का जिला-वार ब्यौरा क्या है;
- (घ) कर्नाटक में लाभार्थियों की संख्या, जिला-वार और केंद्र-वार सहित सरकार द्वारा उक्त केंद्रों में नामांकित अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों को प्रदान की जाने वाली सुविधाओं, जैसे निःशुल्क आवास, भोजन, स्टाइपेंड, यात्रा भत्ता आदि का ब्यौरा क्या है;
- (ङ) पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान कर्नाटक में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कोचिंग केंद्रों के लिए आवंटित, जारी और उपयोग की गई धनराशि का जिला-वार ब्यौरा क्या है; और
- (च) कर्नाटक में प्रशिक्षण के बाद रोजगार प्राप्त करने वाले/प्रतियोगी परीक्षाओं में उत्तीर्ण होने वाले अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों की संख्या का वर्ष-वार और जिला-वार ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**

**श्रम और रोजगार राज्य मंत्री**  
**(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)**

(क) से (च): श्रम एवं रोजगार मंत्रालय “अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रोजगार के इच्छुक व्यक्तियों हेतु कल्याण संबंधी योजना” क्रियान्वित कर रहा है। इस योजना का उद्देश्य व्यावसायिक मार्गदर्शन, करियर परामर्श, कंप्यूटर प्रशिक्षण, भर्ती-पूर्व प्रशिक्षण आदि के माध्यम से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रोजगार के इच्छुक व्यक्तियों की रोजगार क्षमता को बढ़ाना है। अब तक, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के अनुरोध पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए 25 राष्ट्रीय करियर सेवा केंद्र (बेंगलुरु, कर्नाटक स्थित एक केंद्र सहित) खोले गए हैं तथा संचालित हैं। इन केंद्रों की लोकेशन [https://dge.gov.in/dge/ncsc\\_for\\_sc/sts](https://dge.gov.in/dge/ncsc_for_sc/sts) पर देखी जा सकती है।

देश में पिछले तीन वर्षों के दौरान प्राप्त आवेदनों की संख्या और नामांकित छात्रों की संख्या का कर्नाटक सहित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा अनुबंध-I में दिया गया है।

प्रत्येक अभ्यर्थी को प्रति माह 1000 रुपये का वजीफा प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से दिया जाता है और इसके अलावा पूरे पाठ्यक्रम के लिए प्रति अभ्यर्थी 1000 रुपये मूल्य की निःशुल्क पुस्तकें और स्टेशनरी भी प्रदान की जाती है। कर्नाटक सहित देश में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र-वार लाभार्थियों की संख्या अनुबंध-II में दी गई है।

यह एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। इस योजना के अंतर्गत किसी विशिष्ट राज्य/संघ राज्य क्षेत्र को धनराशि का आवंटन नहीं किया गया है।

इस योजना का उद्देश्य अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रोजगार चाहने वालों की रोजगार क्षमता में वृद्धि करना है, तथापि, रोजगार मेलों का आयोजन करके अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को रोजगार देने के लिए भी प्रयास किए जाते हैं।

\*\*\*\*\*

लोक सभा के दिनांक 08.12.2025 के अतारंकित प्रश्न 1264 के भाग (क) से (च) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

प्राप्त आवेदनों और केंद्रों को आवंटित सीटों की संख्या

क्र.सं.	एनसीएससी-एससी/एसटी	2024-25		2023-24		2022-23	
		प्राप्त आवेदनों की संख्या	नामांकित छात्रों की संख्या	प्राप्त आवेदनों की संख्या	नामांकित छात्रों की संख्या	प्राप्त आवेदनों की संख्या	नामांकित छात्रों की संख्या
1	आइजोल	302	155	229	155	275	250
2	बेंगलुरु	369	245	484	260	589	450
3	भुवनेश्वर	393	245	399	245	626	475
4	चेन्नई	375	245	358	245	582	400
5	दिल्ली	455	325	455	325	325	230
6	गुवाहाटी	357	245	403	295	481	400
7	हिसार	557	155	400	170	705	450
8	हैदराबाद	551	245	512	245	511	350
9	इंफाल	276	155	*	*	402	240
10	जबलपुर	269	155	449	170	706	550
11	जयपुर	405	155	614	155	461	350
12	जालंधर	226	155	224	155	350	275
13	जम्मू	574	305	463	305	300	225
14	जोवाई	280	155	350	155	174	129
15	कानपुर	730	325	557	350	1370	940
16	कोहिमा	198	155	196	155	183	150
17	कोलकाता	486	245	564	260	641	350
18	ऊना (तत्कालीन मंडी)	259	155	250	155	624	425
19	नागपुर	531	155	365	155	742	400
20	नाहरलगुन	271	155	207	155	312	250
21	पुदुचेरी	190	155	189	155	207	150
22	रांची	303	155	392	155	736	480
23	सूरत	330	245	530	265	391	265
24	तिरुवनंतपुरम	309	245	290	245	411	370
25	विशाखापत्तनम	233	155	227	155	60	50
<b>योग</b>		<b>9229</b>	<b>5085</b>	<b>9107</b>	<b>5085</b>	<b>12164</b>	<b>8604</b>

टिप्पणी: \*वर्ष के दौरान जातीय हिंसा के कारण यह योजना नहीं चल सकी।

लोक सभा के दिनांक 08.12.2025 के अतारंकित प्रश्न 1264 के भाग (क) से (च) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

करियर परामर्श / व्यावसायिक मार्गदर्शन / पूर्व-भर्ती प्रशिक्षण / टाइपराइटिंग और शॉर्टहैंड प्रशिक्षण, विशेष कोचिंग योजना और कंप्यूटर प्रदत्त अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों की संख्या

एनसीएससी का नाम	2024-25		
	करियर परामर्श/व्यावसायिक मार्गदर्शन/भर्ती-पूर्व प्रशिक्षण/टंकण और आशुलिपि प्रशिक्षण	विशेष कोचिंग योजना	कंप्यूटर प्रशिक्षण
आइजोल	3,356	80	75
बेंगलुरु	10,087	80	165
भुवनेश्वर	12,583	80	165
चेन्नई	12,681	80	165
दिल्ली	13,653	160	165
गुवाहाटी	10,780	80	165
हिसार	9,743	80	75
हैदराबाद	13,727	80	165
इंफाल	7,274	80	75
जबलपुर	11,871	80	75
जयपुर	23,186	80	75
जालंधर	15,168	80	75
जम्मू	4,505	80	225
जोवाई	6,135	80	75
कानपुर	20,968	160	165
कोहिमा	9,867	80	75
कोलकाता	12,710	80	165
ऊना (तत्कालीन मंडी)	5,427	80	75
नागपुर	12,725	80	75
नाहरलगुन	3,746	80	75
पुदुचेरी	10,698	80	75
रांची	13,524	80	75
सूरत	12,839	80	165
तिरुवनंतपुरम	12,937	80	165
विशाखापत्तनम	3,965	80	75
कुल	2,74,155	2,160	2,925